2024:CGHC:34911

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

MAC No. 768/2017

1. श्रीमती. सावित्री देवी पत्नी स्व. सुरेश कुमार उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी नार्थ चिरमिरी कॉलोनी, थाना चिरमिरी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया छत्तीसगढ

2. संदीप यादव पिता स्व. सुरेश कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी नॉर्थ चिरमिरी कॉलोनी, थाना चिरमिरी, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुंठपुर) छत्तीसगढ

3. पूजा यादव पिता स्व. सुरेश कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी नॉर्थ चिरमिरी कॉलोनी, थाना चिरमिरी, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुंठपुर) छत्तीसगढ

4. रोहित यादव पिता स्व. सुरेश कुमार उम्र लगभग 24 र्ष निवासी नॉर्थ चिरमिरी कॉलोनी, थाना चिरमिरी, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुंठपुर) छत्तीसगढ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

------ **आवेदकगण**

बनाम

1. संत गणेश पिता ओंकार स्वीपर, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी एकता नगर, गोद्रीपारा, ब्लॉक नं. 14, मकान नं. 190, पोस्ट गोद्रीपारा, थाना चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

------ **उत्तरवादी**

आवेदक द्वारा	: सुश्री भाविका कोटेचा सहित पराग कोटेचा, अधिवक्ता
प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा	: श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता सहित सुश्री प्रेरणा अग्रवाल, अधिवक्ता

माननीय न्यायाधिपति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, जस्टिस

पीठ पर आदेश

06.09.2024

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील विद्वान प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 15/2005 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 21.02.2015, जिसके द्वारा 55,000/– (अक्षरी–पचपन हजार)रूपए प्रतिकर राशि दावाकर्तागण को प्रदान किया गया था, के विरूद्ध धारा 173 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत् प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 16.02.2012 को मृतक सुरेश कुमार अपने मोटर सायकल पंजीयन क्रमांक CG–16–1877 से संत गणेश के साथ गोद्रीपारा से पंडोपारा जा रहा था, कालीबाड़ी मंदिर चिरमिरी के पास मोटर सायकल गड्ढे में गिर गया, जिससे मोटर सायकल चालक साथ ही साथ मृतक भी गिर गया । मृतक मोटर सायकल के पीछे में सवार था और अनावेदक क्रमांक 1 संत गणेश मोटर सायकल का चालक था । दुर्घटना से मृतक सुरेश कुमार को गंभीर उपहति कारित हुआ और रीजनल हॉस्पिटल कोड़ासिया में इलाज के दौरान दिनांक 18.02.2002 उसकी मृत्यु हो गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावाकर्तागण जो कि मृतक की पत्नी एवं बच्चे थे यह कथन करते हुए दावा प्रकरण प्रस्तुत किये कि मृतक एस.ई.सी.एल. में सामान्य मजदूर के रूप में नियोजित था और 8,000/– रूपए प्रतिमाह आय अर्जित कर रहा था । मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी, जिसकी आय पर वे आश्रित थे । इसलिए दावाकर्तागण मृतक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण कुल 23,32,000/– रूपए प्रतिकर राशि का दावा किये थे ।

4. अनावेदक क्रमांक 1 इस अभिवचन के साथ जवाबदावा प्रस्तुत किया था कि मृतक को साधारण उपहति कारित हुआ था और वह दुर्घटना के पश्चात् अपने रिश्तेदार के घर चला गया था और वह कुछ अन्य बिमारी के इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती था । दावाकर्तागण द्वारा अत्यधिक राशि का दावा किया गया है । यह भी अभिवचन किया गया है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमा कंपनी से सम्यक रूप से बीमित थी । इसलिए यदि कोई प्रतिकर राशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व है तो वह बीमा कंपनी पर है ।

5. अनावेदक क्रमांक 2 ने भी यह अभिवचन करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना के कारण नहीं हुई है तथा बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 2 को समयावधि के भीतर दुर्घटना की सूचना नहीं दिया गया है । दुर्घटना दिनांक को चालक के पास मोटर सायकल को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था और मोटर सायकल का चालन बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में किया जा रहा था । इसलिए प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. संबंधित पक्षकारों द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पांच वाद प्रश्नों की रचना की गयी है और साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के बाद दावा प्रकरण का निराकरण दिनांक 30.09.2003 को किया और दावाकर्तागण को 3,76,000/– रूपए का प्रतिकर राशि प्रदान किया गया था तथा प्रतिकर की उक्त राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व अनावेदकगण पर संयुक्तः एवं पृथक्तः अधिरोपित किया गया ।

7. विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 30.09.2003 को पहले बीमा कंपनी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विविध अपील क्रमांक 73/2004 प्रस्तुत करके चुनौती दिया गया और प्रतिकर राशि के भुगतान करने के उसके उत्तरदायित्व को इस आधार पर चुनौती दिया गया कि वाहन चालक के पास प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति था, जो कि बीमा शर्तों का उल्लंघन है, जिससे बीमा कंपनी प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है ।

8. इस न्यायालय के माननीय युगलपीठ द्वारा दिनांक 04.04.2011 को विविध अपील क्रमांक 73/2004 निराकृत करते हुए अपील को स्वीकार कर अपने आदेश के पैरा 5 में संप्रेक्षित किये गये मत के अनुसार ममाला पुनः नये सिरे से निर्णय करने के लिए विद्वान दावाधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. आदेश दिनांक 04.04.2011 के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात् अतिरिक्त वाद प्रश्न दिनांक 16.11.2016 को विरचित किया गया कि क्या, मृतक जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के वाहन के पीछे सवार था, दुर्घटना के समय वैध चालन अनुज्ञप्ति धारण किये हुए था या नहीं । पक्षकारों को अवसर दिये जाने के पश्चात् भी किसी भी पक्षकारों द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे आखिरकार दिनांक 21.12.2017 को दावाकर्तागण के पक्ष में कुल 55,000/– रूपए का अवार्ड पारित किया गया तथा बीमा कंपनी को प्रतिकर राशि के भुगतान के दायित्व से इस आधार पर मुक्त कर दिया गया कि दोषी वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति था, जो कि बीमा

पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन है । वर्तमान अपील के तहत् अधिनिर्णय दिनांक 21.02.2017 को चुनौती दिया गया है ।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने यह विचार करने में गलती कारित किया है कि दावाकर्तागण को कोई हानि कारित नहीं हुआ है क्योंकि वे आश्रितता नियोजन प्राप्त कर चुके है साथ ही साथ वे मृतक की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार पेंशन भी प्राप्त कर रहे है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि दावाकर्तागण मृतक के आय पर आश्रित थे । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदित किया गया कि दावाकर्तागण को भावी आय भी प्रदान नहीं किया गया है । दावाकर्तागण के प्रतिकर राशि का निर्धारण करते समय मृतक के मासिक आय पर विचार नहीं किया गया है तथा सकल प्रतिकर में से परिवार पेंशन एवं क्षतिपूर्ति नियुक्ति की राशि कटौती योग्य नहीं है । यह भी निवेदन किया गया कि परंपरागत मदों में भी विद्वान दावाधिकरण द्वारा बहुत अल्प राशि प्रदान किया गया है । आगे यह भी निवेदन किया है कि चूंकि वाहन का चालक दुर्घटना के समय प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण किया था इसलिए प्रतिकर की राशि के भुगतान हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी है और यदि चालक के चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में बीमा शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बीमा कंपनी उक्त प्रतिकर की राशि को वाहन के स्वामी से वसूल कर सकता है । इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना किया गया कि प्रतिकर की राशि में वृद्धि तथा प्रतिकर के भुगतान को बीमा कंपनी पर अधिरोपित किया जावे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि मृतक जो कि मोटर दुर्घटना में पीछे बैठा सवारी था वह तृतीय पक्ष की परिधि में नहीं आता है । बीमा पॉलिसी जो कि मोटर सायकल के लिए जारी किया गया था वह एक्ट ऑन पॉलिसी है तथा बीमा पॉलिसी के तहत् 206/– रूपए का प्रीमियम राशि लिया गया। जो कि ऑनली एक्ट पॉलिसी है । इसलिए एक्ट ऑनली पॉलिसी पिछले सवार व्यक्ति के जोखिम को आच्छादित नहीं करता है जैसा कि वह तृतीय पक्ष के परिभाषा के तहत् नहीं आता है । बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मोटर सायकल में पीछे बैठा सवार व्यक्ति तृतीय पक्ष की परिधि में आता है, का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण **मोहना कृष्णन एस. बनाम के. बालासुब्रामनियम एवं अन्य** प्रकाशित 2022(4) टी.ए.सी. 28 (एस.सी.) में पारित निर्णय के अनुसार वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया है । उनके द्वारा यह भी दलील दिया है कि प्रशिक्षु वाहन अनुज्ञप्ति वाहन को चलाने का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है इसलिए बीमा शर्तों का उल्लंघन रहने से प्रतिकर के भुगतान हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया गया और अभिलेख का अवलोकन किया ।

13. **मेघालय राज्य बनाम युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 613** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित किया है कि

भले ही प्रश्न का अंतिम उत्तर वृहद्त्तर पीठ के निर्णय का इंतजार करना है, लेकिन प्रकरण के साथ आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं है और प्रकरण को स्थगित नहीं किया जा सकता है ।

अशोक सदारंगनी एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2012 (11) एससीसी 321 के मामले में अपने निर्णय के पैराग्राफ 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "29. जैसा कि हरभजन सिंह (सुप्रा) के मामले में संसूचित किया गया था कि वृहद्त्तर पीठ को निर्दिष्ट मामले के लंबित रहने का यह अर्थ नहीं है कि वैसे ही विवाद्यक को अंतर्ग्रस्त अन्य सभी कार्यवाही निर्देश में निर्णय दिये जाने तक स्थगित रहेगा । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उड़ीसा राज्य बनाम दण्डासी साहू 1988 (4) एससीसी 12 के मामले में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 4 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है:–

> "4. इस मामले को देखते हुए, हमें लगता है कि इस मामले के तथ्यों के मद्देनजर इस बिंदु के वृहद्त्तर पीठ के समक्ष लंबित रहने से इस अपील के न्याय निर्णयन और निराकरण को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। आज के कानून के अनुसार बिना कारण के दिया गया अधिनिर्णय स्वतः खराब नहीं है। वास्तव में, सिर्फ अधिनिर्णय से ही स्पष्ट विधि की गलती या कदाचार के आधार पर ही अधिनिर्णय को अपास्त किया जा सकता है । यह सुस्थापित

विधि है कि जैसा कि आज की विधिक स्थिति है उसमें अधिनिर्णय के बिना कारण के होने से स्वतः खराब होने का प्रतिविरोध आज के विधि के परिप्रेक्ष्य में कोई स्थान नहीं रखता है। यह विरोध खारिज किया जाता है।

14. यद्यपि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहना कृष्णन एस. बनाम के. बालासुब्रामनियम एवं अन्य** 2022(4) टी.ए.सी. 28 (एस.सी.) के मामले में क्या तृतीय पक्ष, बीमित जो कि प्रथम पक्षकार है और बीमाकर्ता जो कि द्वितीय पक्षकार है को छोड़कर सभी अन्य लोगों को शामिल करता है, के विवाद्यक के विनिश्चयन हेतु वृहद्त्तर पीठ को निर्दिष्ट किया है, किन्तु **अशोक सदारंगनी (सुप्रा), मेघालय राज्य (सुप्रा) एवं दण्डासी साहू (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर से वृहद्त्तर पीठ के निर्णय तक वर्तमान मामले के कार्यवाही को स्थगित किया जाना उचित नहीं होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित कथन के परिशीलन से उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जवाबदावा में यह आधार नहीं लिया गया है कि मृतक के मोटर सायकल के पीछे बैठे सवारी होने से तृतीय पक्ष की परिभाषा के तहत् नहीं आता है । यद्यपि विधिक बिन्दु किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है लेकिन उत्तरवादी बीमा कंपनी उक्त आधार अभी तक अपने जवाबदावा साथ ही साथ अपील, जो कि विविध अपील नंबर 73/2004 है, के प्रथम चरण में भी नहीं लिया गया है कि मोटर सायकल के पीछे में सवार व्यक्ति तृतीय पक्षकार की परिधि में आता है। इस न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि धारा 147(1)(B)(1) मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार उत्तरदायित्व का भाग जो

कि वाहन स्वामी के द्वारा मृत्यु या किसी व्यक्ति के उपहति या सार्वजनिक स्थल पर मोटरयान से कारित या उससे उद्भूत होने वाले किसी परपक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उपगत किया जाए । "कोई व्यक्ति" शब्द को उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है यानी तीसरा पक्ष ।

16. इस न्यायालय की राय में मृतक जो कि पिछला सवारी था और वाहन का स्वामी नहीं था, वह तृतीय पक्ष की परिभाषा में आता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बीमा कंपनी ने 183/– रूपए स्वयं की क्षति एवं 77/– रूपए लोक जोखिम के दायित्व हेतु प्राप्त किया है और दिनांक 03.10.2001 से 02.10.2002 तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी जारी किया है । जबकि बीमा कंपनी द्वारा 77/– रूपए लोक जोखिम के दायित्व हेतु प्रीमियम प्राप्त किया गया था जो कि तृतीय पक्ष के दायित्व को आच्छादित करता है । चूंकि मृतक को तृतीय पक्ष अभिनिर्धारित किया गया है इसलिए बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व उक्त पॉलिसी के तहत् आच्छादित होता है । यह उल्लेखित किया गया है कि उक्त पॉलिसी एक्ट ऑनली पॉलिसी है किन्तु उक्त प्रीमियम लोक जोखिम को आच्छादित करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा लिया गया है और इसलिए वर्तमान प्रकरण में बीमा कंपनी को प्रतिकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है ।

18. जहां तक दावाकर्तागण द्वारा किये गये दावा से संबंधित है अपीलार्थी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मृतक एस ई सी एल में नियोजित था तथा सामान्य मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था । घटना दिनांक 16.02.2002 की है और मृतक माह दिसंबर 2001 में 2,904/– रूपए वेतन प्राप्त किया था तथा माह नवंबर 2001 में उसकी शुद्ध वेतन 4,008/– रूपए तथा माह अक्टूबर 2001 में उसका शुद्ध वेतन 1,903/– रूपए था । इसलिए मृतक के आय के निर्धारण हेतु उसके वेतन स्लिप (प्रदर्श–पी/10 से प्रदर्श–पी/12) से दर्शित होने वाली वेतन को विचार में लिया जावेगा। दस्तावेज (प्रदर्श–पी/10 से प्रदर्श–पी/21) के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि मृतक के प्रत्येक माह के वेतन में सारभूत भिन्नता है इसलिए घटना के ठीक पूर्व के तीन माह, जो कि माह अक्टूबर 2001, नवंबर 2001, दिसंबर 2001 है, का औसत वेतन को लिया जाना उचित होगा । अतः इन तीनों माह के औसत वेतन को लेने के बाद, जो कि (प्रदर्श–पी/19, पी/20 एवं पी/21) में दिखाया गया है, मृतक का औसत मासिक वेतन 2,938/– रूपए होता है, जिसे घटना दिनांक को मृतक का मासिक आय रहना अभिनिर्धारित किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मृतक के मासिक आय के संबंध में दस्तावेजीय साक्ष्यों पर विचार करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरणों **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय शेट्टी एवं अन्य** (2017) 16 एससीसी 680, **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानु राम उर्फ चुहरू राम एवं अन्य** (2018) 18 एससीसी 130 और **श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य** (2009) 6 एससीसी 121 से भी

मार्गदर्शन लेने से यह न्यायालय निम्नानुसार प्रतिकर की गणना कर रही हैः–

मृतक का मासिक आय	2,938/- रूपए
भविष्य की आय में 40% की वृद्धि	1175/- रूपए
सकल मासिक आय	4113/- रूपए
मृतक का कुल वार्षिक आय	49,356/- रूपए
व्यक्तिगत व्यय 1/4 भाग की कटौती करने के बाद	49,356-12,339 37,017/- रूपए
15 का गुणक प्रयोज्य करने पर आश्रितता की कुल हानि	37,017 X 15 5,55,255/- रूपए
वैवाहिक एवं संतान सहचर्य	1,60,000/- रूपए
अंत्येष्ठी व्यय	15,000/- रूपए
संपदा की हानि	15,000/- रूपए
कुल क्षतिपूर्ति	7,45,255/- रूपए (5,55,255 + 1,60,000 +15,000 + 15,000)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपर में दिये गये कारणों से अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । अधिकरण द्वारा पहले से ही दिये गये एवार्ड की राशि 55,000/– रूपए को अब 7,45,255/– रूपये बढ़ाया जाता है । इस प्रकार 55,000/– रूपए की राशि को घटाने के पश्चात् दावाकर्त्तागण/अपीलार्थीगण 6,90,255/– रूपए के अतिरिक्त राशि के अधिकारी हैं । उक्त अतिरिक्त राशि 6,90,255/– रूपए पर अपील प्रस्तुति दिनांक 08.02.2017 से वसूली दिनांक तक 6% वार्षक दर से ब्याज देय होगा ।

21. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का दलील है कि दोषी वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के पास प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति था और नियम 3 केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के अनुसार व्यक्ति जो प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति रखता है वह किसी अनुदेशक, के बिना जो कि वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति रखा हो

वाहन को नहीं चला सकता है । इसलिए बीमा कंपनी को मुक्त किया जा सकता है ।

22. इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने MAC No. 609/2011 में पारित अपने आदेश दिनांक 25.04.2012 के पैरा 15 एवं 16 में निम्नानुसार निर्धारित किया है:–

> "15. मोटरयान अधिनियम 1988 के उपबंधों का नियम 3 केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के साथ यह संयुक्त प्रभाव है कि यदि वाहन का चालक प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति रखा था तब उसे उस वाहन को चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुदेशक के साथ अवश्य होना चाहिए और ऐसा अनुदेश वाहन को नियंत्रित एवं रोकने की स्थिति में बैठा हुआ हो, जिसके अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि वाहन का चालक वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति रखा था ।
>
> 16. मामले के तथ्यों पर लौटने पर यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी नियम 3 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया है और इसके अतिरिक्त न ही वाहन के सामने या पीछे की ओर ऐसे रीति से पेंट किया हुआ या सामने की ओर या पीछे की ओर चिपकायी हुई किसी प्लेट या कार्ड पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल से "L" अक्षर लिखा हुआ है और न ही प्रशिक्षु का अनुज्ञप्ति रखने वाला चालक वाहन को चलाने के लिये वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति रखने वाला अनुदेशक के साथ है जो वाहन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को नियंत्रित एवं रोकने की स्थिति में बैठा है और इसलिये अधिकरण ने बीमा कंपनी को इस निर्देश के साथ कि पहले प्रतिकर की राशि का भुगतान करें और उसके बाद वाहन स्वामी और उत्तरवादी क्रमांक 09 से वसूल करने के निर्देश के साथ बीमा कंपनी को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में कोई गलती नहीं किया है ।"

23. आगे, इस न्यायालय के माननीय खण्डपीठ ने MAC No. 1388/2014 में पारित अपने निर्णय दिनांक 12.10.2020 के पैरा 39 एवं 40 में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"39. दावा अधिकरण ने सही रूप से अभिनिर्धारित किया है कि बीमा शर्तों का उल्लंघन था, इसलिये बीमा कंपनी को निर्देशित किया गया कि भुगतान करे और उसके बाद उसे अनावेदक क्रमांक 02 वाहन स्वामी से वसूल करे । दावा अधिकरण यह निष्कर्षित करने में त्रुटि किया है कि बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वाहन स्वामी को इस बात की जानकारी थी कि अनावेदक क्रमांक 02 प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं रखा है। विद्वान दावा अधिकरण का यह निष्कर्ष गलत है और स्थित रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि वाहन स्वामी का यह दायित्व है कि वह वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करे । अनावेदक क्रमांक 02 का पेशा चालकों का प्रशिक्षण स्कूल का नहीं है, किंतु उसे कुशल चालक को नियुक्त

करना है । प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले को चालक के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है । दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय के पैरा 16 में बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि को संतुष्ट करने के लिये उत्तरदायी ठहराने का अभिलिखित निष्कर्ष अपास्त किया जाता है । किंतु जैसा कि हम लोगों ने अनुज्ञप्ति के आधार पर बीमा शर्तों का उल्लंघन होना निर्धारित किया है, बीमा कंपनी पहले संपूर्ण प्रतिकर की राशि ब्याज सहित निक्षिप्त करेगी और उसके बाद उक्त् राशि को दोषी वाहन के स्वामी से विधि अनुसार वसूल करेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. उपर उल्लेखित निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेते हुए हम पाते है कि बीमा कंपनी को प्रतिकर की संपूर्ण राशि को बीमा कंपनी पहले विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष जमा करे और उसके बाद इस प्रकार जमा किये गये राशि को अनावेदक क्रमांक 02 दोषी वाहन के चालक से वसूल करने के जारी किये गये निर्देश की पुष्टि करना उचित है । यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा कंपनी द्वारा इस प्रकार जमा किये गये प्रतिकर की राशि की वसूली हेतु पृथक कार्यवाही प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बीमा कंपनी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उसी कार्यवाही में अनावेदक क्रमांक 02 जो कि दोषी वाहन का स्वामी है से विधि अनुसार राशि की वसूली के लिये

निष्पादन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे ।"

24. उत्तरवादी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये दलील को विचार पर लेते हुए तथा उनके द्वारा विश्वास व्यक्त किये गये, उपरोक्त न्यायदृष्टांतों पर भी विचार करते हुए इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि घटना दिनांक को दोषी वाहन के चालक के पास कोई वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी जिससे दोषी वाहन का चालन बीमा शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था और इसलिये दावाकर्त्ता को प्रतिकर राशि के भुगतान करने के उसके उत्तरदायित्व से उत्तरवादी बीमा कंपनी को मुक्त किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. तथापि **अमृत पाल सिंह बनाम टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 (7) एस एस सी 558** में माननीय उच्चतम न्यायालय यह बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि बीमा शर्तों के उल्लंघन के मामले में भुगतान और वसूली का निर्देश जारी किया जा सकता है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सवर्ण सिंह, 2004 (3) एस सी सी 297** में पारित निर्णय के अनुरूप होगा ।

26. इस प्रकार मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर उल्लेखित निर्णयों में अभिनिर्धारित विधि के मद्देनजर मैं पाता हूं कि बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाना उचित है कि वह प्रतिकर की संपूर्ण राशि को पहले दावा अधिकरण के समक्ष निक्षिप्त करे और उसके पश्चात् इस प्रकार जमा

किये गये राशि को अनावेदक क्रमांक 01 जो कि वाहन स्वामी है, से वसूल कर सकता है ।

27. अतः उपरोक्त अवलोकन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से उपर दर्शित विस्तार कर स्वीकार किया जाता है ।

सही/–
(रविन्द्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur